क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): प्रशासनिक व्यय

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ स्वास्थ्य हेतु किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है । इस हेतु क्षेत्र भ्रमण, लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तथा Micro Birth Plan की उपलब्धता एवं अनुपालन वांछनीय है । तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित मदों में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है जिसका निदेश इस दिशा निर्देश में उल्लेखित किया गया है ।

इकाई राशि (रू० में) : आवश्यकतानुसार

वित्तीय दिशा निर्देश : इसके तहत निम्न गतिविधियां की जा सकती है ।

1 मातृ स्वास्थ्य हेतु मुद्रण एवं क्रय (Micro Birth Plan For ASHA, , Parto graph & any other printing and Purchasing of Digital camera,, Hard disc etc. which is relevant to implementation & promotion of programme.)

2. **इस मद से मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड** (MCP Card) **का मुद्रण जिलों के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा निर्धारित दर एवं एजेंसी से कराया जाना है ।**

3 जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रा०स्वा०के० तक अनुश्रवण हेतु POL/ Hiring Vehicle हेतु

4 लाभार्थी के भौतिक सत्यापन हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिए (POL/ Hiring Vehicle)

5 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु (May Hire Data entry operator for computerizing data, data operator may be hired on the basis of number of entry.Rate may be decided by DHS locally. Cartridge, paper) आदि क्रय हेतु ।

6 जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु

7 भारत एवं राज्य स्तर से कार्यक्रम की समीक्षा/क्षेत्र भ्रमण आदि हेतु आए पदाधिकारियों/सलाहकारों की Logistic Arrangement आदि की व्यवस्था की जा सकती है ।

जिला स्वास्थ्य समिति वैसे सभी स्वास्थ्य संस्थानों (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों सहित) को पैसा निर्गत करेगी जहाँ पर प्रसव कार्य सम्पन्न हो रहा है । वैसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र जहां प्रसव हो रहा है उस स्वास्थ्य संस्थानों के ए.एन.एम. अपने आवश्यकतानुसार व्यय करेंगी तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर उस संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी व्यय करेंगे । ए.एन.एम. जिस प्रकार अन्टाइड फण्डों के लेखा–जोखा का संधारण करती है ठीक उसी प्रकार इस मद के अंतर्गत किए गए व्यय का भी संधारण करेंगी और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे ।

8 उक्त दिशा निर्देश प्रमण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए भी लागू है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

13/7/13 10/7/13

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः–SHSB/PM/22/2005-VII/......3092.......

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांकः–29/03/2013

विषयः– जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संशोधित प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंगः रा० स्वा० स०, बिहार का पत्रांकः 8422, दिनांकः 28/09/2012
प्रसंगः No. Z. 14018//2012-JSY, दिनांकः 06.02.2013

महाशया/महाशय,

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपरोक्त प्रासांगिक पत्र के माध्यम से जननी एवं बाल सुरक्षा योजनान्तगर्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया गया था कि एक मुश्त कुल ₹350/–(ग्रामीण क्षेत्र) एवं ₹200/–(शहरी क्षेत्र) आशा/आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राशि प्रसवोपरांत देय है ।

उपरोक्त निदेश को निदेशक–आर.सी.एच., राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांकः No. Z. 14018//2012-JSY, दिनांकः 06.02.2013 के आलोक में विलोपित करते हुए निदेशित है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 01.04.2013 से जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करते हुए विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹600/–रूपये/प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं ₹400/–रूपये/प्रसव शहरी क्षेत्र के लिए संस्थागत प्रसव हेतु सहायता प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार देय होगी।

कार्य	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	शहरी क्षेत्र हेतु
प्रसव पूर्व जाँच 1 (12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण सहित)	100 रू०/–	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2		
प्रसव पूर्व जाँच 3		
प्रसव पूर्व जाँच 4		
आई० एफ० ए० 1	100 रू०/–	100 रू०/–
आई० एफ० ए० 2		
आई० एफ० ए० 3		
टी० टी० 1	100 रू०/–	
टी० टी० 2		
कुल	**300 रू०/–**	**200 रू०/–**
संस्थागत प्रसव हेतु (बी०सी०जी० टीकाकरण के उपरांत)	**300 रू०/–**	**200 रू०/–**
कुल योग	**600 रू०/–**	**400 रू०/–**

for SHS 29/3/13

13

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

उक्त के आलोक में यह भी निदेशित है कि 31 मार्च, 2013 तक का आशा का लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर्तमान में लागू दर से ही समाप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि 1.04.2013 से नई संशोधित दर निर्बाध रूप से लागू किया जा सके ।

विश्वासभाजन

ह०/–

(संजय कुमार)

ज्ञापांक:

पटना, दिनांक: ..../...../2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि: अपर निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि: वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

13/7/13